न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– नीलम लखारा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 127/2015 (2015/00053)

तारीख दायरा–15.10.2015

तारीख निर्णय–13.01.2021

1. श्री महेन्द्रसिह पिता वरदीसिंह परमार राजपूत उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
2. श्री भैरूसिंह पिता वरदीसिंह परमार राजपूत उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री कालूसिंह पिता लालसिंह परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती कमली बाई पत्नी कालूसिंह परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री मोडा पिता रूपा परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री मन्ना पिता रूपा परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री कालूसिंह पिता हिरसिंह परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
6. श्री किशनसिंह पिता भंवरसिंह परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री दुर्गा शंकर पालीवाल

प्रतिवादी की ओर से– महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा करदा पटवार हल्का करदा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 619 में वर्णित आराजीयात किता कुल 22 रकबा 4.3500 है0 भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, सयुक्त स्वामित्व में है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/4 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त भुमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त आराजीयात भूमि होकर हिस्से अनुसार मौके पर काबीज हो काश्त करते चले आ रहे है। वादी एंव प्रतिवादी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाघा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन [illegible] दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना [illegible]श्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजियात का वादी एवं प्रति[illegible] मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है [illegible] कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजियात का विधिक विभाजन मि[illegible] एण्ड बांउडस के आधार किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:49 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रकरण राजस्व लोक अदालत मुकाम

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

करदा में दिनांक 26.05.2016 को पेश हुई जहां पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रपत्र पेश कर आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का राजीनामे से विभाजन कराये जाने की सहमति पेश की जिसे स्वीकार किया गया एवं तहसीलदार को वादग्रस्त भूमि का विविक विभाजन करने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई जिस पर तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया प्रकरण में राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव राजस्व केम्प में पेश राजीनामा का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। प्रतिवादी बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को भी वादग्रस्त भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा करदा पटवार हल्का करदा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 के खाता संख्या 619 में वर्णित आराजीयात किता कुल 22 रकबा 4.3500 है0 भूमि भुमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाई मिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया जा कर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन , मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाडा योजना उभयप पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की बंटवाडा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोंकन किया गया।

वादग्रस्त भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया हैं एवं भूमि भी पक्षकारान को लगभग– लगभग बराबर – बराबर दी गई है। जिससे वादी के हिस्से की भूमि का विविक विभाजन किया गया साथ ही विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी कि जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा करदा पटवार हल्का करदा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 648 [illegible] कुल 18 रकबा 2.4200 है0 भूमि में से आराजी संख्या 4711 रकबा 0.0350, आ[illegible] 4712 रकबा 0.0350, आराजी संख्या 4713 रकबा 0.0550, आराजी [illegible] 0.2100 एवं आराजी संख्या 10237/4182 रकबा 0.0500 है0 कुल [illegible] है0 भूमि श्री मोडा पिता रूपा के 1/4, मना पिता रूपा के 1/8 कालुसिंह पिता [illegible]सिंह के 1/8 कालुसिंह पिता हीरसिह के 1/8, किशनसिंह पिता भंवरसिंह के 1/8 एवं महेन्द्रसिंह, भेरूसिंह पिता वरदीसिंह के 1/4 हिस्से में रखी जाती है। आराजी संख्या 4149/1 रकबा 0.0300, आराजी संख्या 4151/1 रकबा 0.3550, आराजी संख्या 4155/1 रकबा 0.0900, आराजी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:32:49 IST
Reason: SelfAttested

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

4688मी0 रकबा 0.0350 कुल किता 4 रकबा 0.5100 है0 भूमि श्री महेन्द्रसिंह, भेरूसिंह पिता वरदीसिंह परमार के खातेदारी में रखी जाती हैं । इसी प्रकार आराजी संख्या 4149मी0 रकबा 0.0300, आराजी संख्या 4151मी0 रकबा 0.3050, आराजी संख्या 4155मी0 रकबा 0.0300, आराजी संख्या 4688/1 रकबा 0.2650, आराजी संख्या 1646 रकबा 0.0100, आराजी संख्या 3950 रकबा 0.1600, आराजी संख्या 3988 रकबा 0.0100, आराजी संख्या 4152 रकबा 0.2050, आराजी संख्या 4153 रकबा 0.2150, आराजी संख्या 4647 रकबा 0.0200, आराजी संख्या 4687 रकबा 0.0200, आराजी संख्या 4691 रकबा 0.2350, आराजी संख्या 4729 रकबा 0.0200 कुल किता 13 रकबा 1.5250 है0 भूमि श्री मोडा पिता रूपा के 1/3, मना पिता रूपा के 1/6, कालुसिह पिता लालसिंह के 1/6 कालुसिंह पिता हीरसिंह, किशनसिंह पिता भवंरसिंह के 1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी में रखी जाती है। एतद्नुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी किया जावें । पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Neelam

(नीलम लखारा)

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः— नीलम लखारा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 127/2015 (2015/00053)

तारीख निर्णय—13.01.2021

1. श्री महेन्द्रसिह पिता वरदीसिंह परमार राजपूत उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।

........वादी

बनाम

1. श्री कालूसिंह पिता लालसिंह परमार उम्र वयस्क निवासी करदा तहसील गोगुन्दा।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री दुर्गा शंकर पालीवाल
प्रतिवादी की ओर से— महेन्द्र कुमार पालीवाल

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 13.01.2021 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा करदा पटवार हल्का करदा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2077 से 80 के खाता संख्या 648 में वर्णित आराजीयात किता कुल 18 रकबा 2.4200 है0 भूमि में से आराजी संख्या 4711 रकबा 0.0350, आराजी संख्या4712 रकबा 0.0350, आराजी संख्या 4713 रकबा 0.0550, आराजी संख्या 10177/4156 रकबा 0.2100 एवं आराजी संख्या 10237/4182 रकबा 0.0500 है0 कुल किता 5 रकबा 0.3850 है0 भूमि श्री मोडा पिता रूपा के 1/4, मना पिता रूपा के 1/8 कालुसिंह पिता लालसिंह के 1/8 कालुसिंह पिता हीरसिह के 1/8, किशनसिंह पिता भंवरसिंह के 1/8 एवं महेन्द्रसिंह, भेरूसिंह पिता वरदीसिंह के 1/4 हिस्से में रखी जाती है। आराजी संख्या 4149/1 रकबा 0.0300, आराजी संख्या 4151/1 रकबा 0.3550, आराजी संख्या 4155/1 रकबा 0.0900, आराजी संख्या 4688मी0 रकबा 0.0350 कुल किता 4 रकबा 0.5100 है0 भूमि श्री महेन्द्रसिंह, भेरूसिंह पिता वरदीसिंह परमार के खातेदारी में रखी जाती हैं । इसी प्रकार आराजी संख्या 4149मी0 रकबा 0.0300, आराजी संख्या 4151मी0 रकबा 0.3050, आराजी संख्या 4155मी0 रकबा 0.0300, आराजी संख्या 4688/1 रकबा 0.2650, आराजी संख्या 1646 रकबा 0.0100, आराजी संख्या 3950 रकबा 0.1600, आराजी संख्या 3988 रकबा 0.0100, आराजी संख्या 4152 रकबा 0.2[illegible] आराजी संख्या 4153 रकबा 0.2150, आराजी संख्या 4647 रकबा 0.0280, आराजी संख्या [illegible]7 रकबा 0.0200, आराजी संख्या 4691 रकबा 0.2350, आराजी संख्या 4729 रकबा 0.0200 कुल किता 13 रकबा 1.5250 है0 भूमि श्री मोडा पिता रूपा के 1/3, मना पिता रूपा के 1/6, कालुसिह पिता लालसिंह के 1/6 कालुसिंह पिता हीरसिंह, किशनसिंह पिता भवंरसिंह के 1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी में रखी जाती है।

Neelam
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neelam Lakhara
Date: 2021.06.25 15:52:49 IST
Reason: SelfAttested